UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001.
Tel: 033 – 22481054, Fax – 033 – 22485852
Email: co.sec@unitedbank.co.in

Board Sec/STEX/Cl49/275/2011

July 4, 2011

Sri. Hari K., Vice President
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, Plot – C/1, Block – G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (E)
Mumbai – 400051.

Ref. Scrip Code – UNITEDBNK
Sub: Notice of Annual General Meeting

Dear Sir,

Please find enclosed the certified copy of the Notice convening the Annual General Meeting of the Bank.

Six copies of the Annual Report as required under Clause 31 will be sent to you in due course.

Kindly acknowledge receipt.

Thanking you,

Bikramjit Shom
Company Secretary & Compliance Officer

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय : युनाइटेड टावर
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001

सूचना

सूचना दी जाती है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 48 के अनुसार युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की दूसरी वार्षिक आम सभा शुक्रवार दिनांक 29 जुलाई 2011 को पूर्वाह्न 11.00 बजे **भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बुलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता -700027** में होगी जिसमें निम्नांकित विषय शामिल होंगे :

1. 31 मार्च, 2011 को समाप्त वर्ष के बैंक के तुलन पत्र, लाभहानि खाता, लेखा के जरिए प्रदर्शित बैंक के कार्यकलापों पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट और तुलन-पत्र और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर चर्चा करना, उसका अनुमोदन करना उसे और अंगीकार करना ।

2. ईक्विटी शेयर पर वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए लाभांश की घोषणा करना ।

निदेशक मंडल के आदेश से
बिक्रमजित सोम
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : 18 जून, 2011
स्थान : कोलकाता

टिप्पणी :

1. प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 के अनुसार एक शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है एवं ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62(II) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले बैंक के पास पहुंच जाना चाहिए। प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रहने के लिए उसे बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, हेमंत बसु सरणी, चौथा तल, कोलकाता - 700001 में 23 जुलाई 2011 शनिवार को कारोबार समय की समाप्ति (अपराह्न 1.45 बज) तक या इससे पहले अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए।

तथापि उस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा ।

बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि - प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।

UNITED BANK OF INDIA
HEAD OFFICE: UNITED TOWER
11 HEMANTA BASU SARANI
KOLKATA – 700001

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010, the Second Annual General Meeting of the shareholders of UNITED BANK OF INDIA will be held on Friday, July 29th 2011, at 11.00 A.M. at **Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata - 700027** to transact the following business:-

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2011, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare Dividend on Equity Shares for the Financial Year 2010-11.

By order of the Board of Directors
Bikramjit Shom
Company Secretary

Date : June 18th, 2011
Place : Kolkata

NOTES:

1. APPOINTMENT OF PROXY

PURSUANT TO REGULATION 62 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING, IS ALSO ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/ HERSELF, AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, THE PROXY FORM IN ORDER TO BE EFFECTIVE MUST BE RECEIVED BY THE BANK NOT LESS THAN **FOUR DAYS** BEFORE THE DATE OF THE MEETING. Proxy form in order to be effective must be deposited at the Share Department & Investors Grievance Cell, at Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700 001 on or before the closing business hours (1:45 P.M.) of **Saturday, July 23rd 2011**.

However a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

Certified to be true copy
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
For UNITED BANK OF INDIA
कंपनी सचिव / Company Secretary

यदि प्रतिनिधि-प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो ग्रान्टियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म तैयार किया जाएगा ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 (vi) के तहत प्रतिनिधि के प्रपत्र के गारंटर को बैठक में व्यक्तिगत रूप में वोट देने का हक नहीं होगा जो उस प्रपत्र से संबंधित है।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का कोई कर्मचारी अथवा अधिकारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं हो सकेगा ।

2. एक प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियम 2010 के विनियम 61 के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केंद्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उसी अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है ; मानों वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो ।

उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति केंद्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010 के विनियम 62 (II) के अनुसार कोई भी व्यक्ति बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्ति के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित करके बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता- 700 001 में **शनिवार, 23 जुलाई 2011** को (अपराह्न 1.45 बजे) कारोबार अवधि की समाप्ति तक अथवा उससे पहले जमा न की गई हो ।

3. उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र

शेयर धारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची-सह-प्रवेश पत्र संलग्न है । शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयर धारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति-सह-प्रवेश पत्र पर 'प्रतिनिधि' अथवा 'प्राधिकृत प्रतिनिधि' जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations 2010 shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

No person shall be appointed as a Proxy who is an employee or officer of United Bank of India.

2. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVES

PURSUANT TO REGULATION 61 OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, A SHAREHOLDER, BEING THE CENTRAL GOVERNMENT OR A COMPANY, MAY BY A RESOLUTION, AS THE CASE MAY BE, AUTHORISE ANY OF ITS OFFICIALS OR ANY OTHER PERSON TO ACT AS ITS REPRESENTATIVE AT ANY GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS AND THE PERSON SO AUTHORISED SHALL BE ENTITLED TO EXERCISE THE SAME POWERS ON BEHALF OF THE CENTRAL GOVERNMENT OR THE COMPANY WHICH HE REPRESENTS AS IF HE WERE AN INDIVIDUAL SHAREHOLDER OF THE BANK.

The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

IN TERMS OF REGULATION 62(II) OF THE UNITED BANK OF INDIA (SHARES & MEETINGS) REGULATIONS 2010, NO PERSON SHALL ATTEND OR VOTE AT ANY MEETING OF THE SHAREHOLDERS OF THE BANK AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE OF THE COMPANY UNLESS A COPY OF THE RESOLUTION APPOINTING HIM AS THE DULY AUTHORISED REPRESENTATIVE CERTIFIED TO BE A TRUE COPY BY THE CHAIRMAN OF THE MEETING AT WHICH IT WAS PASSED HAS BEEN DEPOSITED TO THE BANK. The authorised representation in order to be effective should be delivered at the Share Department & Investors Grievance Cell, at Head Office, 11, Hemanta Basu Sarani, 4th Floor, Kolkata – 700 001 on or before the closing business hours (1:45 P.M.) of **Saturday, July 23rd 2011.**

3. ATTENDANCE SLIP-CUM ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry-pass is annexed to the Annual Report. Shareholders/ Proxy holders/ Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue of the meeting. Proxy/Authorised Representatives of shareholders should mention on their attendance slip-cum-entry pass, 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

Certified to be true copy
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इं
For UNITED BANK OF IN
कंपनी सचिव / Company Secretary

4. शेयरधारकों का रजिस्टर बंद होना

स्टॉक एक्सचेंज के लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 16 एवं युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शयरों एवं बैठकों) विनियम, 2010 के विनियम 12 के प्रावधानों के अनुसरण में शनिवार 16 जुलाई 2011से शुक्रवार 29 जुलाई 2011 तक (दोनों दिन शामिल है) बैंक के शेयर धारकों के रजिस्टर तथा शेयर अंतरण बही वार्षिक आम सभा एवं बैंक द्वारा घोषित शेयर धारकों को प्राप्त होने वाले लाभांश के निर्धारण के उद्देश्य से बंद रहेंगे।

5. लाभांश का भुगतान

29 अप्रैल 2011 को हुई निदेशक मंडल की बैठक में निदेशक मंडल ने प्रति 10/- के ईक्विटी शेयर पर ₹2.20 के लाभांश की अनुशंसा की है जिसकी घोषणा वार्षिक आम सभा में शेयरधारकों द्वारा की जानी है । अत: शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ₹10/- प्रति ईक्विटी शेयर ₹2.20/- के लाभांश की घोषणा करें ।

वार्षिक आम सभा में यदि शेयरधारकों द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है तो वह लाभांश उन शेयरधारकों को दिया जाएगा जिनके नाम

क) **शुक्रवार 15 जुलाई 2011** को व्यवसाय की बंदी के समय हितग्राही स्वामी के रूप में एन एस डी एल/सी डी एस एल द्वारा दी गई सूची के अनुरूप और इलेक्ट्रोनिक रूप में उनके नाम रखे गए शेयरों के संबंध में होगे और

ख) **शुक्रवार 15 जुलाई 2011** को शेयरधारकों की बही में, मूर्त रूप में धारित अपने शेयरों को जब शेयरधारक वैध तरीके से **शुक्रवार 15 जुलाई 2011** तारीख तक अंतरित करने का अनुरोध करे और उसके अनुरोध को प्रभावकारी कर दिया गया हो ।

ऐसे शेयरधारकों को उनका लाभांश वारंट इस बैंक द्वारा पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के माध्यम से, शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के भीतर भेज दिया जाएगा ।

6. लाभांश वारंट पर /नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज हेतु बैंक खाता का ब्यौरा

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने बैंकों के साथ - साथ सभी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि लाभांश का वितरण करते समय और जहाँ कहीं भी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज का उपयोग किया जाए तो लाभांश वारंट में शेयरधारक के बैंक खाता संख्या का उल्लेख किया जाए । यदि कुछ केंद्रों में नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज नहीं हैं और यदि कुछ शेयरधारक इस सेवा का उपयोग नहीं करते तो बैंक अपने पास उपलब्ध उस संबंधित शेयरधारक का विवरण लाभांश वारंट पर छपवा देगा ।

जो शेयरधारक अपना शेयर मूर्त रूप में रखे हुए हैं वे अपना बैंक अधिदेश (मैनडेट) बैंक के शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष के पास अथवा बैंक के पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के पास भेज सकते हैं ताकि संबंधित अभिलेखों को अद्यतन किया जा सके । जिन शेयरधारकों ने अपना शेयर अमूर्त रूप में रखा है वे इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई हेतु अपने निक्षेपागार अंशग्रहणकर्ता (डिपोजिटरी पार्टिशिपेंट) से

4. CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the provisions of Clause 16 of the Listing Agreements with the Stock Exchanges and Regulation 12 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 the Register of Shareholders and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from **Saturday, July 16th, 2011 to Friday, July 29th, 2011 (both days inclusive)** in connection with the Annual General Meeting and for the purpose of determining the shareholders entitled to receive the dividend, if declared by the Bank at the Annual General meeting.

5. PAYMENT OF DIVIDEND

The Board of Directors at its meeting held on April 29th 2011, had recommended a dividend of ₹2.20/- per equity share of ₹10/- each, which is required to be declared by the shareholders at this Annual General Meeting.

Payment of dividend, if declared by the Shareholders at the Annual General Meeting, will be made to those shareholders whose names appear:

a) as Beneficial Owners as at the close of business hours on **Friday, July 15th 2011**, as per lists to be furnished by NSDL/ CDSL in respect of the Shares in electronic form, and

b) in the Register of shareholders as on **Friday, July 15th 2011,** after giving effect to the valid transfer requests received from the shareholders holding shares in physical form, before close of business hours on **Friday, July 15th 2011**.

Dividend warrants to such shareholders would be sent by the Bank through the Bank's Registrar and Share Transfer Agent viz. Link Intime India Pvt. Limited, within 30 days from the date of declaration of dividend to their registered address.

6. DETAILS OF BANK ACCOUNTS ON DIVIDEND WARRANTS/ FOR NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICES - (NECS)

SEBI has made it mandatory for all the listed companies including Banks, to mention on the dividend warrants, the bank account details furnished by the shareholders, while distributing dividends as well as to use the National Electronic Clearing Services (NECS) facility, wherever available. In the absence of NECS facility in certain centres and in the event of some shareholders not availing such facility, the Bank shall print the bank details, as available with them on the dividend warrants.

The shareholders who are holding shares in physical form may send their Bank mandates to the Share Department & Investors Grievances Cell of the Bank or M/s Link Intime India Pvt. Ltd., the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank for necessary updation of records. The Shareholders holding shares in dematerialized form

Certified to be true copy
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
For UNITED BANK OF INDIA
कंपानी सचिव / Company Secretary

संपर्क करें । नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सर्विसेज/बैंक अधिदेश का प्रारूप इस वार्षिक रिपोर्ट में दिया हुआ है ।

7. **अप्रदत्त / दावारहित लाभांश**

लाभांश की घोषणा के 30 दिनों के बाद, 15 दिनों के भीतर यदि किसी शेयरधारक ने अपने लाभांश का नकदीकरण नहीं कराया या उसका दावा नहीं किया तो बैंक के लाभांश खाते में पड़ी इस राशि को एक अलग खाते में डाल दिया जाएगा जिसका नाम "युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया - वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु अप्रदत्त लाभांश खाता" है।

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 10 बी के तहत दिए गए प्रावधानों के अनुरूप लाभांश की जो राशि अप्रदत्त रह जाती है या सात वर्ष तक उसका कोई दावा नहीं करता तो वह निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि (आई इ पी एफ) में डाल दी जाएगी । इस निधि की स्थापना केंद्र सरकार ने 1956 के कंपनी अधिनियम की धारा 205 सी के तहत की है और इस निधि में लाभांश की राशि अंतरित कर दिए जाने के बाद उस राशि का दावा इस बैंक अथवा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षा निधि से नहीं किया जा सकेगा ।

जिन शेयरधारकों ने पूर्ववर्ती अवधि के अपने किसी लाभांश का नकदीकरण नहीं कराया है वे शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करके उनसे लाभांश वारंट की दूसरी प्रति जारी करने का अनुरोध करें ।

8. शेयरधारकों से अनुरोध :

8.1 तुलन पत्र की प्रतियाँ

चूंकि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम सभा के समय उस केंद्र पर वितरित नहीं की जाएंगी - अत: शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि वे बैंक द्वारा उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति लेकर आएं।

8.2 शेयरों का डिमेटेरियलाइजेशन

जिन शेयरधारकों ने अपना शेयर मूर्त रूप में रखा है उनसे अनुरोध है कि वे उन शेयरों को अमूर्त (डिमेट) रूप में रखें ।

8.3 खाते से संबंधित सूचना

जो शेयरधारक अपने इन खातों से संबंधित सूचना / स्पष्टीकरण चाहते हैं वे वार्षिक आम-सभा की तारीख से कम से कम चार दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक संबंधित सूचना तैयार रखे। कोई भी सूचना / स्पष्टीकरण कम्पनी सेक्रेटरी को निम्नलिखित पते पर भेज सकते हैं:

शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया, प्रधान कार्यालय
11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता -700001

may approach their Depository Participants for necessary action in this regard. A proforma of the NECS/ Bank Mandate is furnished in the Annual Report.

7. UNPAID/UNCLAIMED DIVIDEND

Within 7 days from the expiry of 30 days from the date of declaration, if any shareholder has not encashed or claimed the dividend, such amount lying in the Bank's Dividend Account, shall be transferred to a separate account styled as "United Bank of India – Unpaid Dividend Account for the financial year 2010-11".

As per the provision of Section 10B of The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government under section 205C of the Companies Act 1956, and thereafter no claim for payment shall lie in respect thereof either to the Bank or to the IEPF.

The shareholders who have not encashed their dividend warrants or received dividend pertaining to the previous period, if any, are requested to contact the Share Transfer Agent for issue of duplicate warrant.

8. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

8.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence the shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which are mailed to the Registered Addresses of the shareholders.

8.2. Dematerialization of Shares

Shareholders who are holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized.

8.3. Information on Accounts

Shareholders seeking information/ clarification with regard to Accounts are requested to write to the Bank at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

Communications may be sent to the Company Secretary at:
Share Department & Investors Greivance Cell
United Bank of India
Head Office, 4th Floor

Certified to be true copy
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
For UNITED BANK OF INDIA
कंपनी सचिव / Company Secretary

अथवा इ मेल इस पते पर भेज सकते हैं-
investors@unitedbank.co.in

11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata 700 001
or emailed at investors@unitedbank.co.in

8.4 पत्रों (फोलियो) का समेकन :

जिन शेयरधारकों के शेयर मूर्त रूप में, कई पत्रों (फोलियो) में एक ही नाम से या संयुक्त नाम से उसी नाम के क्रम में हों, उनसे निवेदन है कि वे अपने शेयर प्रमाण पत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड के पास भेज दें ताकि उन्हें एक ही पत्रे में समेकित किया जा सके ।

8.4. Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names of joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s Link Intime India Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

8.5 पते / बैंक ब्यौरे में परिवर्तन की सूचना :

शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पते में हुए किसी परिवर्तन की सूचना और अपने बैंक खाते का ब्यौरा निम्नलिखित के पास भेजें :

क) यदि उनका शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में है तो संबंधित निक्षेपागार अंशग्रहणकर्ता (डिपोजिटरी पार्टिशिपेंट्स) को और

ख) यदि उनका शेयर मूर्त रूप में है तो पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को भेजें जिसका पता है :

लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
(यूनिट : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया)
सी- 13 पन्ना लाल सिल्क मिल्स कंपाउंड
एल बी एस मार्ग, भांडुप (पश्चिम)
मुंबई - 400 078

8.5. Notifying Change of Address/Bank Details

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in electronic form;

b. The Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. in respect of shares held in physical form at the following address

Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
C-13 Pannalal Silk Mills Compound,
L.B.S. Marg, Bhandup(W),
Mumbai – 400078

8.6 स्थिति के परिवर्तन को दर्ज करना

अनिवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे निम्नलिखित स्थिति में परिवर्तन की सूचना तत्काल मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लिमिटेड को दें :

क) विदेश से लौटने पर स्थाई रूप से भारत में निवास करने की स्थिति में अपनी आवासीय स्थिति

ख) भारत में स्थित बैंक खाते का विवरण जिसमें उनका पूरा नाम, शाखा, खाते का प्रकार, खाता सं., एम आई सी आर कोड, आई एफ एस सी कोड, बैंक का पता (पिन कोड सहित) - यदि यह पहले नहीं दिया गया हो तो।

8.6. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –

a. their Residential Status on return to India for permanent settlement.

b. particulars of Bank Account in India with complete name, branch, account type, account no., MICR code, IFSC code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

Certified to be true copy
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
For UNITED BANK OF INDIA
कंपनी सचिव / Company Secretary

9. मताधिकार :

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2इ) के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्रीय सरकार को छोड़कर कोई भी शेयरधारक बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 1% से अधिक के अपने किसी भी शेयरों के संबंध में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

निदेशक मंडल के आदेश से

बिक्रमजित सोम
कंपनी सेक्रेटरी

दिनांक : जून 18, 2011
स्थान : कोलकाता

9. Voting Rights

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of 1% of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

By order of the Board of Directors

Bikramjit Shom
Company Secretary

Dated : June 18th, 2011
Place: Kolkata

Certified to be true copy
कृते युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
For UNITED BANK OF INDIA
कंपनी सचिव / Company Secretary